(घ) क्या सकलरोलरर इस इन को प्रायमिकता के आधार पर बदलने का विचार रखती है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

Advertisement of cigarette in Swagat Magazine without statutory warning

2348. SHRI PRAMOD MAHAJAN:

SHRI JOHN F. FERNANDES:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Swagat Magazine of Indian Airlines contains advertisement of foreign brand cigarettes without any statutory warning as required for local brand cigarettes;

(b) whether it is also a fact that such an advertisement of 555 cigarettes appeared on back page of Swagat Magazine issue of February 89, without the statutory warning;

(c) what are the reasons for this discrepancy; and

(d) whether Government propose to take action against the erring officials?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL):

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The statutory warning is carried on the cigarette packets manufactured in India only. The question of whether there is any violation of law advertising foreign made brands of cigarettes in the Swagat without carrying the statutory warning is being examined, in consultation with appropriate authorities.

भोजन यानों के प्रबन्ध का ठेका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिया जाना

2349. श्री ईश दत्त यादव:

चौधरी राम सेवक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन 115/116 और 933/934 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में भोजन यान चलाने का ठेका दिये जाने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नजरन्दाज किया गया है और यह ठेका एक पाकेट को-आपरेटिव सोसाइटी को आबंटित किया गया है जो कि एक स्थानीय छोटी सी, अनुभवहीन नई और आर्थिक दृष्टि से कमजोर सोसाइटी है, यदि हां, तो क्या यह रेलवे बोर्ड का खुला उल्लंघन है;

(ख) उक्त चार भोजन यानों को चलाने का ठेका चार अलग-अलग आवेदकों को न दिए जाने के क्या कारण हैं, जैसा कि 933/934 और 509/510 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मामले में किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय पूर्वोत्तर रेलवे के पास कोई भी भोजन यान डिब्बा उपलब्ध नहीं है और इसके उपलब्ध होने में अभी 6 महीने से अधिक का समय लग जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त आबंटन से पूर्व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था; और

(ङ) क्या सरकार इस अवैध आबंटन की जांच रेलवे बोर्ड के आसूचना (इंटेलिजेन्स) विभाग द्वारा करवाने का विचार रखती है?